

यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब नाम	प्रतिवादी
तिजावन्ती पत्नी नाथूलाल, लालचन्द कुमावत हीरालाल सागरमल दाऊलाल पि. नाथूलाल जाति कुम्हार निवासीगण कुचामनसिटी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर 235 /2023		GCMS No. 2023/ 381
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए	
10.07.2023	<p>वादी/प्रार्थी तिजावन्ती पत्नी नाथूलाल, लालचन्द कुमावत हीरालाल सागरमल दाऊलाल पि. नाथूलाल जाति कुमावत निवासीगण कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी द्वारा "प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 राहत शिविर" के दौरान प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण की जांच रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की। वाद/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2074-2077 ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खाता नम्बर 992 प्रस्तुत कर कथन किया है। वादी/प्रार्थी के नाम की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि तीजादेवी पत्नि नाथूराम दाऊलाल पुत्र नाथूराम लालाराम पुत्र नाथूराम सागरमल पुत्र नाथूराम हीरालाल पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है, जो कि अशुद्ध है।</p> <p>वादी/प्रार्थी का शुद्ध तिजावन्ती पत्नी नाथूलाल, लालचन्द कुमावत हीरालाल सागरमल दाऊलाल पि. नाथूलाल जाति कुम्हार सा. देह खातेदार दर्ज है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार कार्ड, राशनकार्ड, पेन कार्ड, जन आधार कार्ड की छाया प्रति इत्यादि प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी कुचामनसिटी भू.अ.नि. कुचामनसिटी तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से वादी का नाम शुद्ध किये जाने योग्य है जिसकी पुष्टि उपलब्ध उपरोक्त दस्तावेजात, पटवारी हल्का, नि.भू.अ., तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट से साबित है।</p> <p>अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)